दैनिक
न्याय साक्षी

खबरें खास

महत्वपूर्ण एवं खास

एक ही रात दो घरों का ताला टूटा

सोने चांदी के गहने सहित नकदी ले उड़े चोर

न्याय साक्षी/रायगढ़। भूपदेवपुर थाना क्षेत्र के बिलासपुर गांव में अज्ञात चोरो ने दो घरों का ताला तोड़ कर सोने चांदी के गहने सहित करीब 50 हजार रूपए का सामान पार कर दिये हैं। मामले में भूपदेवपुर पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने बिलासपुर में रहने वाली महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता उमा नामदेव व लकेश्वर चौहान के सूने मकान को निशाना बनाया है। चोरों ने जहां महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता उमा नामदेव के घर का ताला तोड़ कर 30 तोला चांदी का पायल, कान का लटकन व गुल्लक व घर में रखे नकदी करीब 7 हजार सहित जुमला 30 हजार का सामान ले उड़े तो वहीं लकेश्वर चौहान के घर से सोने चांदी के गहने व 2 हजार नकदी जुमला 20 हजार रूपए का सामान चोरी कर लिये। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कल शाम रायगढ़ आई हुई थी जब वह आज सुबह 9 बजे अपने घर पहुंची तो उसे चोरी की घटना की जानकारी हुई वहीं लकेश्वर चौहान 3 मई से पूरे परिवार के साथ शादी निमंत्रण में गया हुआ था।

हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस के एसी कोच से 40 हजार पार

न्याय साक्षी/रायगढ़। हावड़ा-मुंबई रेल मार्ग पर सुरक्षित रेल सफर, यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। एक बार फिर उक्त मार्ग पर चोरों ने एक चोरी को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के अनुसार खरसिया के एक कपडा व्यवसायी के परिजन चलती ट्रेन में चोरी के शिकार हो गए हैं। हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस के एसी कोच में सफर कर व्यापारी के पत्नी का हैंडबैग पार हो गया। हैंडबैग में दो मोबाइल और 10 हजार रुपये नकदी रखा हुआ था। जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार द्वारा रायगढ़ जीआरपी में की गई है। जानकारी के खरसिया के कपड़ा व्यवसायी मुकेश अग्रवाल अपने परिवार के साथ 30 अप्रैल को गंगटोक घूमने के लिए गये हुए थे। जहां से वे सपरिवार हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस के एसी कोच से खरसिया वापस लौट रहे थे कि झारसुगुड़ा के पहले अपने-अपने बर्थ पर सो रहे थे।

जिले के वन्य प्राणियों पर तीसरी आंख की नजर

» ट्रेप कैमरे में नजर आए तेंदुआ व भालू » शिकारियों पर भी की जा रही निगरानी

न्याय साक्षी/रायगढ़। सारंगढ़ गोमर्डा अभ्यारण्य के जंगलो में लगातार वन्यप्राणियों की तादाद बढ़ते जा रही है और इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि यहां जंगल की सुरक्षा के लिए वनकर्मियों के द्वारा पूरी तरह निगरानी की जा रही है। यही नहीं शिकारी व तस्करों से वन व वन्यप्राणियों को सुरक्षित रखने के लिए यहां ट्रेप कैमरा भी जगह जगह पर लगाया गया है और उन ट्रेप कैमरे में निरंतर वन्यप्राणियों को ट्रेप किया जा रहा है।

पिछले लंबे समय से यहां के कैमरे में तेंदुआ, भालू, बायसन सहित कई वन्यप्राणी कैद हो रहे हैं। बीते दिनों भी काफी संख्या में यहां वन्यप्राणी ट्रेप कैमरे में देखे गए। तत्कालीन एसडीओ एके व्यास के स्थातंरण के बाद गोमर्डा अधीक्षक एके बिंदराज ने उनकी जगह पदभार संभालते ही इन्होंने भी अभ्यारण्य को सुरक्षित रखने के लिए संबंधित सभी वनकर्मियों को निर्देशित करते हुए जगंल में लगातार निगरानी रखने की बात कही। वहीं ट्रेप कैमरा के माध्यम से शिकारियों पर निगरानी व वन्यप्राणियों की सुरक्षा की जा रही है। ट्रेप कैमरा की लगातार जांच के दौरान वन्यप्राणी काफी संख्या में देखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शुरूआत में कभी कभार ही भालू व तेंदुआ ट्रेप कैमरे में नजर आते थे, लेकिन अब अधिकांश पर इन्हें कैमरे के सामने पानी पीते देखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रेप कैमरा को पानी वाले ऐसे स्थानों पर लगाया गया है, जहां वन्यप्राणियों की सुरक्षा शिकारियों से की जा सके।

राशन दुकान का कुंदा तोड़कर आगजनी

» अज्ञात आरोपी पर जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। सरकारी राशन दुकान का कुंदा तोड़कर खाद्न्न में आग लगा देने के मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ जुर्म पंजीबद्ध कर लिया है, घटना खरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केवाली की है।

मिली जानकारी के अनुसार ग्राम केवाली में रहने वाला श्रवण दास महंत पिता सन्यासी दास महंत, केवाली पंचायत में आदिम जाति सहकारी सेवा समिति के शासकीय उचित मूल्य राशन दुकान में विक्रेता का कार्य करता है। 27 अप्रैल को एफसीआई खरसिया गोदाम से कुल 19 कट्टी शक्कर (कुल वजन 9.50 क्विंटल) शक्कर माह मई में हितग्राहियों को वितरण करने हेतु शासकीय उचित मूल्य राशन दुकान केवाली में लेकर आया था। 04 मई की सुबह करीब 08 बजे जब श्रवण दास महंत घर से पंचायत भवन आया तो देखा जिस कमरे में राशन रखा हुआ था उसका ताला कुंदा सहित नहीं था तथा राशन कक्ष में 200 नग चावल के जूट बोरी आग से जल रहा था एवं दीवाल किनारे जहाँ पर शक्कर की बोरी रखा था प्लास्टिक की बोरी होने के कारण ऊँपरी भाग आग से जल कर शक्कर फैला हुआ था। कोई अज्ञात व्यक्ति 03-04 मई की दरम्यानी रात भवन का कुंदा उखाड़ कर भवन में प्रवेश कर राशन दुकान की पंजी, खाली बोरा एवं शक्कर की बोरी में आग लगाकर क्षति पहुँचाया। रिपोर्टकर्ता श्रवण दास महंत के रिपोर्ट पर थाना खरसिया में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 456, 435 भादंवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

परशुराम की जयंती पर निकाली गई शोभायात्रा

न्याय साक्षी/रायगढ़। परशुराम भगवान जी के अवतरण दिवस के अवसर पर खरसिया में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। सर्वप्रथम भगवान परशुराम की आरती की गई उसके खरसिया के विभिन्न मार्गों से होते हुए भगवान श्री परशुराम जी की शोभायात्रा भ्रमण करते हुए। वापस परशुराम भवन के पास पहुंची जहां सैकड़ो की संख्या में उपस्थित विप्र बंधुओं के द्वारा भगवान परशुराम की भव्य आरती पूजन किया गया।

कूटरचना कर जमीन की धोखाधड़ी, न्यायालय के आदेश पर हुआ एफआईआर

न्याय साक्षी/रायगढ़। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने कुटरचना करके जमीन की खरीदी बिक्री करने के मामले में आरोपियों के खिलाफ ठगी का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार 09 अप्रैल 2012 को चित्रसेन नायक एवं मनीष कुमार गुप्ता के द्वारा आवेदिका सुमित्रा कुम्हार के स्वामित्व कृषि भूमि (1) खसरा नं. 155 रकबा 0.235, (2) खसरा नं. 168 रकबा 0.324, (3) खसरा नं. 162 रकबा 0.080, (4) खसरा नं. 422/4 रकबा 0.100 हेक्टे. कुल रकबा 0.739 हेक्टे. भूमि एवं खसरा नं. 430/2 रकबा 0.164 हेक्टे. भूमि को छोडकर कुल खसरा 04 रकबा 0.739 हेक्टे. भूमि को अनावेदक चित्रसेन नायक एवं मनीष कुमार गुप्ता द्वारा 7,80,500/ रूपये में विक्रय सौदा कर आवेदिका से ऋष्टा पुस्तिका मांगें और षडयंत्र पूर्वक धोखाधडी कर खसरा नं. 430/2 रकबा 0.164 हेक्टे. भूमि का भी विक्रय पत्र नकल तैयार करवा कर रजिस्ट्री करा लिये। आरोपीगण द्वारा विक्रय का सौदा 7,80,500/ रूपये में प्रतिफल रकम तय की गई और विक्रय राशि 7,00000/ रूपये दिया गया एवं शेष राशि 80,500/ रूपये बाद मे देगें बोले। बाद में दोनों ऋष्टा पुस्तिका मे कांट छांट कर खसरा नं. 430/2 रकबा 0.164 हेक्टे. भूमि रजिस्ट्री नही हुआ है गलती वश उक्त खसरा नं. 430/2 रकबा 0.164 हेक्टे. अंकित हो गया है कहकर ऋष्टा पुस्तिका को आवेदिका को वापस कर दिये। आरोपीगण जान बुझकर अवैध लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य के आशय से कुल 04 खसरा नंबर के स्थान पर 05 खसरा नंबर अर्थात खसरा नं. 430/2 को भी परिवादिनी को धोखे में रख कर कूटरचित कर षडयंत्र पूर्वक भूमि का रजिस्ट्री करा कर बहुमूल्य दस्तावेजी ऋष्टा पुस्तिका में काटछांट किया गया है।

चोरी के मामले में दो अपचारी बालक सहित एक युवक गिरफ्तार

» खरसिया पुलिस की कार्यवाही, आरोपियों से 1,38,000 रुपए के सामान बरामद

» आरोपियों की गिरफ्तारी पर हुआ तीन मामले का खुलासा

न्याय साक्षी/रायगढ़। खरसिया थाना क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा माल मशरूका की शत-प्रतिशत बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा प्रभारी एस.डी.ओ.पी. खरसिया एवं थाना व चौकी प्रभारी खरसिया को दिशा निर्देशित किया गया था।

थाना प्रभारी खरसिया एवं चौकी प्रभारी खरसिया द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ अभिषेक वर्मा एवं प्रभारी एसडीओपी गरिमा द्विवेदी के मार्गदर्शन में अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही थी कि खरसिया पुलिस को उनके विश्वसनीय मुखबीर से सूचना मिला कि तेलीकोट खरसिया में रहने वाले कम उम्र लड़के चोरी की वारदात में शामिल हैं। खरसिया पुलिस मुखबिर की सूचना पुख्ता होने पर तेलीकोट में रहने वाले दिव्य कुमार उर्फ पप्पू जाटवर पिता उदल जाटवर उम्र 21 वर्ष व उसके 2 साथी बालक उम्र 15 वर्ष एवं 17 वर्ष को तलब कर कड़ी पूछताछ किये। जिस पर इन्होनें ठुसेकेला निवासी हीरालाल राठौर के घर तथा ठुसेकेला निवासी पुष्पेंद्र सिंह राठौर के घर एवं तेलीकोट में रहने वाले बलराज माहिप के घर चोरी करना स्वीकार किया है। चोरी के इन मामलों में प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना खरसिया में धारा 457, 380 भादंवि कायम कर विवेचना की जा रही थी। आरोपी के अपराध स्वीकार करने पर इनके मेमोरेण्डम पर 38 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक सीसीटीवी कैमरा, एक टेबलेट, मेमोरी कार्ड, चार्जर, एयरफोन, चांदी का लच्छा, चांदी की अंगूठी व एक पेचकस कुल 1 लाख 38 हजार रूपए के सामान बरामद किये गये हैं।

आरोपियों का एक साथी फरार है जिसकी पतासा जी की जा रही है। उपरोक्त आरोपियों की पतासाजी एवं गिरफ्तारी में आरक्षक प्रदीप तिवारी, राजेश राठौर, मुकेश यादव, किर्ती सिदार, डमरूधर पटेल, की विशेष भूमिका रही है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक
आवश्यकता
उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।
पीड़ित संपर्क करें
अन्य बिन्दु
पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career School, Raigarh, C.G.
Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090
ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग
वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....
न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की
खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480